बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 185000 / पटना, दिनांक 07/05/2014

संसं0-ग्रा0वि0-6/सी0ए0-03-03/2013

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष- 2012-13 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में कार्यान्वित योजनाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षको के लंबित बिलों के भुगतान के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष- 2012-13 की योजनाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षको का चयन किया गया था । पुन: 2013-14 के कार्यो के लिए अंकेक्षकों के अनुबंध का अवधि विस्तार नये अंकेक्षको की नियुक्ति प्रस्तावित है ।

ICAI के द्वारा निर्गत कोड में दिये गये प्रावधानो के अनुसार नये CA वो नया कार्य प्रारंभ करने के पहले पूर्व के CA से अनापति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है । गत वर्ष कुछ जिलों में अंकेक्षण संबधी कार्य सिर्फ इस लिए विलम्ब से शुरू हुआ था क्योकि पिछले CA के द्वारा किये गये कार्यो का भुगतान विलम्ब से हुआ था और नये CA को अनापति प्रमाणपत्र नहीं प्राप्त हुआ था ।

अत: अनुरोध है कि वैसे डी0आर0डी0ए0 में जहाँ वर्ष- 2012-13 की योजनाओं के अंकेक्षण पास्मिमिक की देय राशि का भुगतान हो चुका है, वहाँ छोडकर शेष डी0आर0डी0ए0 जहाँ देय राशि का भुगतान अबतक नहीं हुआ हो तो उक्त राशि तक भुगतान करके अनापति प्रमाणपत्र तुरंत उपलब्ध करा लेने की कृपा की जाय ताकि ससमय अंकेक्षण का कार्य शुरू किया जा सके ।

विश्वासभाजन

07/05/14

(मनोज कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी